

भाग-11

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

| | |
|---|--|
| 7. प्रयोजना / स्कीम का स्थान | जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग-24 के कि0मी0 496 में डलीगंज चौराहे से चौक मार्ग पर हाथी पार्क के निकट लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खण्ड द्वारा किये जा रहे रेलवे अपडरपास जो गोण्डा लखनऊ रेलखण्ड पर स्थित है के चौड़ीकरण के कार्य में बाधक 02 वृक्षों के पालन एवं 0.0205 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में। |
| (i) राज्य /सघ शासित प्रदेश | उ0प्र0 |
| (ii) जिला | लखनऊ |
| (iii) वन प्रभाग | अवध वन प्रभाग |
| (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में) | 0.0205 |
| (v) वन की कानूनी स्थिति | संरक्षित वन भूमि |
| (vi) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये (सिवाई/जलीय प्रयोजनाओं के सम्बन्ध में एक0आर0एल0-4 भी0 भी0 संलग्न की जाये)। | चिलबिल गोलार्ड 1.45 भी0 व देशी अशोक 1.38 भी0 |
| (vii) वनस्थिति का घनत्व | 0.1 |
| (viii) भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी | भू-क्षरण नहीं है, प्रमाण पत्र संलग्न है |
| (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्तर की वन सीमा से अनुमानित दूरी | वन भूमि से मिला है। |
| (x) क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां तो, क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां संलग्न करें)। | नहीं है |
| (xi) क्या क्षेत्र में वनस्थिति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संक्राणन/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तल सम्बन्धित व्यौरा दें ? | नहीं है |
| (xii) क्या कोई सुव्यवस्थित पुरातत्वी पारम्परिक स्थल /रक्षा प्रतिष्ठान/ कोई और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं यदि हां तो तलसम्बन्धित व्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | नहीं है |
| 8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता प्रयोजना के लिए अपिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के व्यौरों के साथ मद्दवार क्षेत्र क्या है। | हाँ न्यूनतम है |
| 9. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो किए गये कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित व्यौरा दें, उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी चल रहे हैं। | नहीं है |
| 10. क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के व्यौरा | वन भूमि से मिला है। एक भूखण्ड है। |
| (i) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार | मानचित्र संलग्न है |
| (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र /अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप | आम, नीम, जामुन, प्रासपिस आदि |
| (iii) रोपित की जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची तालाव टाया आदि। | 1. प्रभागवित 0.0205 हे0 के दुगुने अर्थात् 0.0410 हे0 अवनत वन भूमि में रोपण हेतु रू0 196820.00 प्रति हे0 की दर से रू0 8070.00 व्यय आयेगा। |
| (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य /एन0पी0वी0) | 2. प्रभावित 2 वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 20 पौधों का ट्रीगार्ड रोपण तथा 7 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 74780.00 व्यय आयेगा। 3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर कुल व्यय रू0 82850.00 प्रभावित 0.0205 हे0 की एन0पी0वी0 रू0 626000.00 प्रति हे0 की दर से 12833.00 का व्यय आयेगा। कुल धनराशि 95683.00 (रू0 पन्चान्धवे हजार छः सौ तिरासी मात्र) |

| | |
|---|--|
| (V) प्रतिपूरक नवीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रारम्भिकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) | संलग्न है |
| 11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)। | - |
| 12. प्रभाग / जिला प्रांफाईल : | अवध वन प्रभाग, लखनऊ / लखनऊ |
| (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र | 252800 हे० |
| (ii) जिले का वन क्षेत्र | 10327.12 आरक्षित वन, 259.80 संरक्षित वन |
| (iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ | 67 मामले 183.87 हे० |
| (iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर | |
| (क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि | 185.54 हे. |
| (ख) वनेतर भूमि | 5.27 |
| (V) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति | |
| (क) वनभूमि | 106.26 |
| (ख) वनेतर भूमि | 1.56 |
| 13. कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें। | जनाहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक:-

स्थान:- लखनऊ।

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
शहरी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मोहनलालगंज।

(एस.सी. यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ